

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सरकार बनाम गजानंद

मुकदमा-प्रार्थना पत्र 14 (4) मुकदमा नम्बर..... 65/21.....तारीख रजू 11/11/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल मिसल तलब होकर पत्रावली वास्ते रिकार्ड तलबी दिनांक 12.10.2021 को पेश हो।

नोटिस जारी  
16/11  
11/11/21

*[Handwritten signature]*

पत्रावली पेश हुई। पेशेकार सरकार उपायलक्षित। अज्ञात की जारी नोटिस पर लक्ष्मील कुन्दिदा द्वारा नोटिस की पुरत पर अज्ञात गजानंद के फोटो हो जाने की रिपोर्ट मांगी की गई है। अतः लक्ष्मील कुन्दिदा को रिपोर्ट के आधार पर लक्ष्मीलदार मलारना इंगर द्वारा उरलुत 14 पत्र 14(4) बापस लोटाया जाता है तथा लक्ष्मीलदार मलारना इंगर को निर्देश दिये जाते हैं कि मूल गजानंद के वादिसान की जांच कर वादिसान के विरुद्ध पुनः नये सिरे से जांचना पत्र 14(4) उरलुत करें। पत्रावली नम्बर से फर्म लेकर बाद लक्ष्मील दादिसल दफ्तर हो।



*[Handwritten signature]*  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर